

झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची-834001

विज्ञापन

ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि-26.04.2023
ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित प्रति भेजने की अंतिम तिथि-11.05.2023

विज्ञापन संख्या-06/2023

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन बी0आई0टी0, सिन्दरी में प्राध्यापक के रिक्त पदों पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. **पद का नाम :-** “प्राध्यापक” बी0आई0टी0, सिन्दरी
2. **वेतनमान :-** 37,400-67,000 + ग्रेड पे- Grade Pay with AGP-10000
3. **परीक्ष्यमान अवधि :-** 2 वर्ष
4. **रिक्तियों का विवरण :-**

क्र० सं०	संकाय का नाम	अनु० जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-I	कुल रिक्तियाँ	अर्हता	अनुभव
1.	यांत्रिक अभियंत्रण	01	00	01	प्रासंगिक शाखा में बीई/बीटेक और एमई/एमटेक जिसमें बी0ई/बीटेक अथवा एमई/एमटेक में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो तथा उपयुक्त विषयक्षेत्र में पीएच0डी0 अथवा समकक्ष। पोस्ट पीएच0डी प्रकाशन तथा पीएच0डी0 छात्रों को गाइड करना अत्यन्त वांछनीय।	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव सह प्राध्यापक स्तर पर होना चाहिए। अथवा शिक्षण और/अथवा शोध और/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्ष का अनुभव शोध अनुभव के मामले में बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड तथा पुस्तक/शोध-पत्र, प्रकाशन/आईपीआर /पेटेंटों के रिकार्ड प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अपेक्षित होंगे। यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है, तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए, जो सह प्राध्यापक के समकक्ष हो तथा जिसमें डिजाइनिंग, आयोजन, कार्यकारी, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध-पत्र प्रकाशन/ आईपीआर /पेटेंटों, आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसा कि प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाय।
2.	विद्युत अभियंत्रण	01	01	02		
3.	धातु अभियंत्रण	01	00	01		

टिप्पणी :

- (i) पी0एच0डी0 की समकक्षता 5 अंतरराष्ट्रीय जर्नल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक जर्नल का संचयी प्रभावी सूचकांक 2.0 से कम नहीं होना चाहिए तथा पदधारक मुख्य लेखक के रूप में होना चाहिए और सभी 5 प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए।
- (ii) पी0एच0डी0 एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
- (iii) सहायक प्राध्यापक के पदधारी के लिए, सहायक प्राध्यापक के स्तर पर अनुभव पर सह प्राध्यापक के स्तर के अनुभव के समकक्ष विचार किया जाएगा, बशर्ते कि पदधारी सहायक प्राध्यापक ने प्रासंगिक विषयक्षेत्र में पी0एच0डी0 डिग्री हासिल कर ली हो अथवा वह हासिल करता है।

- (iv) डिप्लोमा संस्थाओं के अनुभव पर डिग्री संस्थाओं में अनुभव के समकक्ष उपयुक्त स्तर पर तथा यथा लागू अनुसार भी विचार किया जाएगा। तथापि, उपर्युक्त अर्हताएँ अनिवार्य होगी।
- (v) यदि कोई वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है, योग के न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम/वर्ग/श्रेणी के समकक्ष विचार किया जाएगा। यदि ग्रेड प्वाइंट सिस्टम अपनाया गया है तो सीजीपीए को निम्नानुसार समकक्ष अंकों में संपरिवर्तित किया जाएगा :-

ग्रेड प्वाइंट	समकक्ष प्रतिशत
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

5. **उम्र एवं अनुभव गणना की तिथि:-** परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के उम्र की गणना की तिथि **01.08.2015** होगी। सभी कोटियों के लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। अनुभव गणना की संदर्भ तिथि आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि होगी।
6. **चयन का आधार :-** नियुक्ति हेतु निम्नलिखित विवरणी के आधार पर चयन किया जायेगा जिसके लिए अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा :-

Academic Records & Research Performance (Total 20%)	Research Performance and Quality of Publications (40%)	Assessment of Domain Knowledge and Teaching Skills (20%)	Interview Performance (20%)
<p>BE/BTech : 10 1 for every 2% after 60%</p> <p>ME/MTech : 5 0.5 for every 2% after 60%</p> <p>PhD : 5</p>	<p>Research Guidance : Max 5 Points per scholar/group (PhD-2.5/ME-1/BE 0.5/Dip - 0.25)</p> <p>Research/Book Pub Max 10 Int Referred Journals with ISSN No.-2/Pub. Non-referred but recognized and reputable Journals and periodicals with ISBN/ISSN Number- 1/Publication. Text Reference Books Published by International Publishers with an established peer review system By sole author - 1/Chapter In edited books - 0.5/Chapter Subject Books by National/State level Publishers and Central Government. Publications with ISBN/ISSN Numbers - By sole author - 0.5/ Chapter In edited books - 0.2/Chapter Subject Books by other local publishers with ISBN/ISSN Number - By sole author - 0.5/ Chapter In edited books - 0.25/Chapter Chapters contribution to edited knowledge based volumes (Published by International Publishers) -1/Chapter Chapters in Knowledge based volumes published by Indian/National level Publishers with ISBN/ISSN Numbers and with numbers of National and International directories - 0.5/Chapter</p>	<p>STTP/Wksp/Meets participation Max 5 For 2 week 1 each For 1week 0.5each For 2 days 0.25 each</p> <p>Papers in Conference etc Max 5 Int. Con with full paper publication 2 each National Con full paper publication 1 each State Con full paper publication 0.5 each</p>	

Projects Max 5 Major Projects amount mobilized with grants above Rs. 30.0 Lakh Each Project -5 Major Projects amount mobilized with grants above Rs. 5 Lakh up to 30.0 Lakh Project - 4 Minor Projects (amount mobilized with grants above Rs. 50,000 up to 5 Lakh) Project - 2	Membership Professional Bodies Max 3 International bodies 1 National bodies 0.5
Patents/Policy documents Max 5 Minor policy document of Government Bodies at Central and State level Patent/Technology transfer/Product/Process for Each Output/Patent of National level 2.5 per	Membership of Board of Studies (inhouse) Max 2 University/SBTE 1 College/Inst 0.5
Consultancy Max 5 Major consultancy for above Rs. 30.0 Lakh payment received - 5 Major consultancy for. 5 Lakh up to 30.0 Lakh payment received - 4 Major consultancy for Rs. 50,000 up to 5 Lakh payment received - 2	Membership of Board of Studies (outside) Max 2 Other Univ/Board 1 Other College/Inst 0.5
Invited/Keynote Address in Conference/Seminar/Symposia Max-5 International 2.5 National 1.0 State Level 0.5	Membership of Editorial/Reviewer panel of journals Max 3 International journals 1 National journals 0.5
Awards/Facilitations/ Distinctions Max 5 Padma/Fellowship/Award of International Repute level - 5 Fellowship/Facilitation at state level 2.5	

नोट :- मेधा का आकलन समेकित रूप से 100 अंकों के आधार पर किया जायेगा।

7. उक्त परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-13026, दिनांक-27.11.2012 के आलोक में निम्नवत् होगा :-

अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I	-	34%
अनुसूचित जनजाति	-	32%

नोट :- 100 अंक में न्यूनतम अर्हतांक (BC-I अभ्यर्थी के लिए 34% एवं ST अभ्यर्थी के लिए 32%) से कम अंक लाने की स्थिति में अभ्यर्थी को उक्त पद पर चयन हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

8. **आरक्षण का लाभ:-** आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

(क) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र धारित किया जाता है।

(ख) जाति प्रमाण-पत्र आवेदक/आवेदिका के पिता की जाति के आधार पर निर्गत होना चाहिए।

(ग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-235 दिनांक-10.10.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(घ) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र :-

- i. आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- ii. आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- iii. शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण-पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।

(ड.) अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किए गए प्रविष्टि के अनुरूप आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) जाति प्रमाण-पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

- (a) अनुसूचित जनजाति:- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1361, दिनांक-03.03.2022 एवं पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-IV में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्ता/ प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।
- (b) नोट:- केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (c) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I:- झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-XI (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर ही देय होगा। किन्तु जाति प्रमाण-पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 के अधीन प्रपत्र-XV में गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोट:-

- (i) केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ii) राज्य सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के साथ यदि प्रमाण-पत्र में Form-XI Required अंकित हो तो Form-XI (Non-Creamy Layer

से संबंधित प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।

9. परीक्षा शुल्क -

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर (इस विज्ञापन के अंतर्गत) उपलब्ध है।
- (ii) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।
- (iii) झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-600/- (छह सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (iv) निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-2249 दिनांक-03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (v) परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (vi) परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. अन्य शर्तें :-

- (क) अभिलेख जाँच या अन्तर्वीक्षा के समय आवेदन में दिए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- (ख) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ग) आवेदन किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (घ) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (ङ) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (च) आवेदक के सरकारी सेवा में होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिलेख जाँच या अन्तर्वीक्षा के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (छ) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रविष्ट सूचना एवं तदनुसार संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर ही अभ्यर्थिता तय की जायेगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सही-सही सूचना प्रविष्ट करते हुए प्रविष्ट किये गए सूचना के अनुसार संबंधित प्रमाण पत्र/अभिलेख (कण्डिका-11(s) के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। भूल सुधार/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।
- (ज) आवेदन करने की तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र/अभिलेख (विज्ञापन की कंडिका-10(च) में उल्लेखित प्रमाण पत्र को छोड़कर) उपलब्ध कराये जाने पर स्वीकार्य नहीं होगा।

11. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश:

- (a) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (b) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (c) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Id एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

- (s) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा –
- (i) शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण (कंडिका-4 की सारणी के अनुसार यथा लागू)
 - (ii) आयु का प्रमाण (मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र अथवा समकक्ष),
 - (iii) मैट्रिक अथवा समकक्ष अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र,
 - (iv) इंटरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र,
 - (v) बी0ई0/बी0टेक डिग्री अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र
 - (vi) एम0ई0/एम0 टेक डिग्री अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र
 - (vii) पीएच0डी0 प्रमाण पत्र (यथा लागू),
 - (viii) कंडिका 4(i) के आलोक में पी0एच0डी0 समकक्षता के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनरल पत्रों की छायाप्रति (यथा लागू),
 - (ix) सक्षम प्राधिकार से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र,
 - (x) सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (कंडिका-8 के अनुसार यथा लागू)
 - (xi) सक्षम प्राधिकार से निर्गत निःशक्तता (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) प्रमाण पत्र (केवल परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए)
- (t) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका (s) के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

12. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम :-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) To be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) To be debarred either permanently or for a specified period.
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. अंतिम तिथि :-

- (क) भरा हुआ ऑनलाईन आवेदन पत्र (कडिका-11(S) के अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ) केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथों-हाथ (कार्यावधि में) इस प्रकार भेजें कि दिनांक-11.05.2023 अपराह्न 5:00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या, पद का नाम एवं संकाय अंकित करना सुनिश्चित किया जाय।
- (ख) आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, इसके लिए आयोग कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
- (ग) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0/-

संयुक्त सचिव (वि0वि0 नियुक्ति),
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।